सिविल एम०जे०सी० क्रमांक 11/2022 रवि शंकर विरुद्ध सुमेर सिंह वगैरह

WitnessN0....01.....For.....आवेदक साक्षी ..... Deposition

taken the...08.10.2025..day of..बुधवार...Witness'sapparent age..49 वर्ष

State of affirmation.....शपथ पूर्वक .....My name is...श्री रविशंकर

S/of.....ठाकुर राम .Occupation....कृषि

Address.ग्राम करगीखुर्द थाना पेण्ड्रा, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

साक्ष्य प्रारंभ समय 3.40

नोट– आवेदक स्वयं ने स्वतः का मुख्यपरीक्षण स्वरुप शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 व्य०प्र०सं के तहत दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत किया जिसमें कंडिका क्र० 01 से 06 है। साक्षी को आज दिनांक 08.10.2025 को शपथ दिलायी जाकर उसका मुख्यपरीक्षण/प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया ।

// मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एम०एल० कश्यप अधिवक्ता वास्ते आवेदक स्वतः //

07– मैंने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में थाना पेण्ड्रा में दिनांक 26.10.2023 को की गई शिकायत की थाना पेण्ड्रा के द्वारा दिया गया धारा 155 दप्रसं० का नालसी जो कि **प्रपी० 01** है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला गो०पे०म० को मेरे द्वारा लिखित शिकायत **प्रपी० 02** है ।

08– न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– 01 पेण्ड्रारोड के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 113–ए/2005 निर्णय दिनांक 16.02.2009 के प्रकरण के आदेश पत्रिका दिनांक 11.08.2004 से लेकर दिनांक 18.02.2009 तक की आदेश पत्रिका की सत्य प्रतिलिपि **प्रपी० 03** है । मैंने ईतवरिया बाई वगैरह का शपथ पत्र दिनांक 30.11.2023 प्रस्तुत किया है जो कि **प्रपी० 04** है । मैंने ग्राम करगीखुर्द जिला तहसील बिलासपुर का साल 1906–1907 मिसल की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत किया है जो कि **प्रपी० 05** है ।

09– मैंने न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश पेण्ड्रारोड का व्यवहार वाद क्रमांक 113–ए/2005 निर्णय दिनांक 16.02.2005 निर्णय एवं बिक्री की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो कि **प्रपी० 06** है । मैंने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग– 01 के पण्ड्रारोड के व्यवहार वाद प्रस्तुत वाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो कि **प्रपी० 07** है । मैंने ग्राम करगीखुर्द का अधिकार अभिलेख साल 1954–1955 **प्रपी० 08** है जो कि तीन पेज में है । मैंने ग्राम करगीखुर्द का बी–1 1985–1986 जो कि दो प्रति में है **प्रपी० 09** है । मैंने ग्राम करगीखुर्द का साल 2005–2006 का खसरा पांचशाला पटवारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत किया

है जो कि **प्रपी० 10** है ।

10– मैंने रामकुंवर का शपथ पत्र दिनांक 30.11.2023 नोटरीटेड प्रस्तुत किया है जो कि **प्रपी० 11** है । मैंने राजेन्द्र प्रसाद का शपथ पत्र नोटरेटेड प्रकरण में प्रस्तुत किया है जो **प्रपी० 12** है । मैंने पटवारी के द्वारा दिनांक 23.08.2017 का वंशवृक्ष प्रस्तुत किया है जो कि **प्रपी० 13** है ।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री शैलेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक //

11– यह कहना सही है कि मेरे पिताजी का नाम ठाकुरराम है । यह कहना सही है कि ठाकुरराम के पिताजी का नाम दादूराम है । यह कहना सही है कि ठाकुरराम का भाई मोहनसिंह है । यह कहना सही है कि घासीनबाई मेरी दादी मां है । यह कहना सही है कलमकुंवर सिधुर सिंह की पुत्री है ।यह कहना सही है कि नानबाई सिधुन सिंह की पत्नी है । यह कहना सही है कि कलमकुंवर ग्राम करगीखुर्द में निवास करती है । यह कहना सही है कि सुपेतसिंह, कल्याण सिंह एवं सुमेर सिंह को जानता हूं । यह कहना सही है कि कृषि भमि ग्राम करगीखुर्द में स्थित है ।

12– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ठाकुरराम, घासीनबाई , मोहन सिंह एवं सिधुन सिंह के विरुद्ध वाद भूमि के संबंध में व्यवहार वाद चला था । यह कहना सही है कि मेरा भाई सीपत ग्राम करगीखुर्द का सरपंच रहा है । यह कहना सही है कि सीपत की पत्नी भी ग्राम करगीखुर्द की सरपंच रही है । कलम कुंवर मेरी बुआ लगती है । नानबाई मेरी दादी लगती है । यह कहना सही है कि फगुन सिंह की पुत्री सेमकुंवर थी । यह कहना सही है कि सेमकुवंर के लड़के सुमेर सिंह, सुपेत सिंह व कल्याण सिंह है ।

13– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सेमकुंवर मेरे पिता मेरे चाचा मोहनसिंह वगैरह के खिलाफ वाद प्रस्तुत किये थे, जिसमें सेमकुंवर वाद भूमि की डिक्री प्रदान की गई थी । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मोहन सिंह के द्वारा सेमकुंवर के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था ।

14– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सेमकुंवर को स्व० प्रफूल्ल सिंह का उत्तराधिकार मानते हुए वाद संपत्ति का स्वत्ताधिकारी घोषित किया गया था । यह कहना सही है कि मोहनसिंह मेरे साथ आता जाता है । यह कहना सही है कि मोहन सिंह के साथ हमारा बात चीत है । साक्षी स्वतः कहता है कि खाना पीना अलग – अगल है । यह कहना सही है कि हमारा और मोहन सिंह का खेती एक ही गावं में हैं और अलग–अगल कमाते है। यह कहना सही है कि प्रपी० 06 में मेरे चाचा मोहन सिंह पक्षकार थे । यह कहना सही है कि मेरी दादी घासीनबाई भी पक्षकार थी । यह कहना सही है कि मेरे पिताजी भी उस प्रकरण में पक्षकार थे । मुझे जानकारी नहीं है कि सिधुन सिंह उस प्रकरण में पक्षकार थे या नहीं ।

15– यह कहना सही है कि जो मैंने वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें दादूराम के पुत्र

ठाकुरराम, मोहन है एवं ठाकुर राम के पुत्र रवि शंकर एवं सीपत है । यह कहना सही है कि दादूराम का जो भी कृषि भूमि था, वह ठाकुरराम एवं मोहन सिंह के बीच में बंटा था । ठाकुरराम की मृत्यु साल 2019 में हुई है। ठाकुरराम व मोहन सिंह के बीच में वादभूमि का बंटवारा हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है ।

16– मोहन सिंह एवं ठाकुरराम का सुपेत सिंह, सुबेर सिंह एवं कल्याण सिंह के बीच मामला चला था, उसकी जानकारी मुझे नहीं है । साक्षी ने स्वतः कहा कि मैं खेती किसानी करता हूं । यह कहना सही है कि मोहनसिंह भी खेती बाडी करता था और ठाकुरराम भी खेती बाडी करता था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कलमकुंवर के द्वारा मेरे पिता एवं मेरे चाचा मोहन सिंह के विरुद्ध मामला प्रस्तुत किये थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कलमकुंवर ने व्यवहार वाद क्रमांक 113–ए निर्णय दिनांक 16.02.2009 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु मेरे पिताजी ठाकुरराम एवं मेरे चाचा मोहन सिंह को पक्षकार बनाया था ।

17– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस प्रकरण में मेरे पिताजी एवं मेरे चाचा एक पक्षीय डिक्री को निरस्त किये जाने का वाद में न्यायालय में उपस्थित हुआ था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने का आवेदन पत्र आवेदिका कलमकुंवर की अनुपस्थिति में निरस्त हो गया था ।

18– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि साल 02.02.2013 को कलमकुंवर के द्वारा दोबारा पुनः स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मेरे पिताजी एवं चाचाजी पक्षकार थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ठाकुरराम को दिनांक 05.06.2009 को न्यायालय तहसीलदार पेण्ड्रारोड में नोटिस प्राप्त हुआ था, तब कमलकुंवर को वाद भूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी ।

19– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दोबारा कलमकुंवर के द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने हेतु मेरे पिताजी एवं मेरे चाचा को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मेरे पिताजी एवं चाचा उपस्थित हुए थे । उक्त आवेदन भी कलमकुंवर की अनुपस्थिति में निरस्त हुआ था । मैंने अपने आवेदन के साथ दस्तावेज में न्यायालय तहसीलदार पेण्ड्रारोड का राजस्व प्रकरण क्रमांक 9–ए–70 साल 2015–2016 पक्षकार सुपेत सिंह विरुद्ध ठाकुर राम वगैरह प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 15.10.2024 से 05.08.2016 की आदेश पत्रिका एवं न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पेण्ड्रारोड के समक्ष सुपेत सिह विरुद्ध ठाकुरराम वगैरह आवेदन दिनांक 15.10.2014 की नकल प्रस्तुत किया हूं ।

20– यह कहना सही है कि न्यायालय तहसीलदार पेण्ड्रारोड का राजस्व प्रकरण क्रमांक 9–ए–70 साल 2015–2016 पक्षकार सुपेत सिंह विरुद्ध ठाकुर राम वगैरह प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 15.10.2024 से 05.08.2016 की आदेश पत्रिका प्रडी० 01 एवं

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पेण्ड्रारोड के समक्ष सुपेत सिह विरुद्ध ठाकुरराम वगैरह आवेदन दिनांक 15.10.2014 प्रडी० 02 में पक्षकार मेरे पिताजी ठाकुरसिंह, चाचा मोहनसिंह व कलमकुंवर थे । यह कहना सही है कि प्रडी० 01 के आदेश पत्रिका के दिनांक 05.08.2016 में आदेश पत्रिका की 15 वीं लाईन में अनावेदकगण उपस्थित होकर प्रारंभिक आपत्ति एवं जवाब तथा दस्तावेज पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि आवेदन के अधिवक्ता को दी गई । तद्पश्चात उक्त आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क सुना जाकर आपत्ति पर आदेश हेतु प्रकरण नियत किया गया है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी के द्वारा तहसीलदार न्यायालय में आदेश होने के पश्चात सिविल न्यायालय में वाद भूमि के संबंध में कोई वाद लाया या नहीं ।

21– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तहसीलदार न्यायालय में आदेश हो जाने के बाद एवं तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात मेरे पिताजी एवं चाचा मोहन सिंह के द्वारा वादभूमि के संबंध में कोई न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया या नहीं ।

22– प्रडी० 01 व 02 की नकल मुझे मेरी बुआ कलमकुंवर से प्राप्त हुई है । यह कहना सही है कि प्रडी० 01 व 02 दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मेरे द्वारा प्राप्त नहीं की गई है । मैं नहीं बता सकता हूं कि प्रडी० 01 व 02 की नकल मेरे पिताजी को दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त हुई थी । यह कहना गलत है कि सिविल प्रकरण के निर्णय की जानकारी साल 2016 से मुझे एवं मेरे पिताजी को जानकारी है, जानबुझकर साल 2022 में विलंब से यह मामला पेश किया है । स्वतः कहा कि साल 2022 में थाना से नोटिस प्राप्त हुआ था, तब जानकारी हुई । यह कहना सही है कि थाना से साल 2022 में नोटिस प्राप्त हुई है जानकारी वाली बात मेरे शपथ पत्र में नहीं लिखी गई है । यह कहना सही है कि मूल व्यवहार वाद की आदेश पत्रिका एवं वकालतनामा में पिताजी के हस्ताक्षर नहीं है, के संबंध में हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच करवाकर रिपोर्ट पेश नहीं किया है ।

23– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मूल व्यवहार वाद मे मेरे पिताजी उपस्थित हुए थे और वकालतनामा में भी हस्ताक्षर कर अधिवक्ता नियुक्त किये थे ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 4.30

गवाह को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महेश बाबू साहू)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,
पेण्ड्रारोड जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महेश बाबू साहू)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,
पेण्ड्रारोड जिला–बिलासपुर (छ.ग.)